संख्या-8/2017/(/17) 3/2/35-आ0-2/2016-19

प्रेषक,

□ी0एन0 त्रि□ाठी,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य,

निदेशक,

अर्थ एवं संख्या प्रभाग,

राज्य नियोजन संस्थान

लखनऊ।

राज्य योजना आयोग-2 लखनऊ:दिनांक: 28 अगस्त, 2017

(नियोजन विभाग)

विषय:मण्डल/जिला स्तर □र नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण के अन्र्तगत चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अन्र्तगत प्रावधानित धनराशि के व्यय हेतु बजट आबंटन।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञा□ संख्या 3/2017 बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च 2017 में लेखानुदान के अन्र्तगत माह हेतु निर्गत स्वीक़तियों की धनराशि रू0-621.90 (रू0 छः करोड इक्कीस लाख नब्बे हजार मात्र) को घ्टाने/समायोजित करते हुए वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञा□ संख्या 8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त 2017 में निर्गत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये आय व्ययक के अन्र्तगत प्रावधानित धनराशि रू0 982.54 (रू0 नौ करोड बयासी लाख चौवन हजार मात्र) को नियोजनविभाग की अनुदान संख्या 40 लेखाशीर्ष "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें -101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-04-मण्डल/जिला स्तर □र नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण" के अन्र्तगत विभिन्न मानक मदों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार आ□के निर्वतन □र निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की राज्य□ाल महोदय सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं:-

http://shashnadesh.up.nic.in

04-मण्डल/जिला स्तर □र नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण

(धनराशि लाख रू□ये में)

कोड संख्या	व्यय की मानक मदें	2017-2018 में कुल आय-व्ययक प्रावधान	2017-2018 में लेखानुदान के अर्न्तगत 05 माह हेतु जारी वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2017-2018 में लेखानुदान की धनराशि को घटाने/ समायोजन के उ□रान्त निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग के निर्वतन □र रखे जाने हेतु जारी धनराशि
1	2	3	4	
	04-मण्डल/जिला स्तर □र नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण			
01	वेतन	1318.56	549.40	769.16
03	मंहगाई भत्ता	79.11	27.45	51.66
04	यात्रा भत्ता	7.60	3.15	4.45
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.50	1.00	1.50
06	अन्य भत्ते	63.50	26.45	37.05
07	मानदेय	1.00	0.40	0.60
08	कार्यालय व्यय	4.80	2.00	2.80
09	विघुत देय	4.00	1.65	2.35
10	जलकर/जल प्रभार	0.50	0.20	0.30
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छ□ाई	6.70	2.75	3.95
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उ□करण	4.50	-	4.50
14	मोटर गाडि.यों का क्रय	11.00	-	11.00
15	गाडियों का अनुरक्षण और □ट्रोल आदि की खरीद	6.30	2.60	3.70
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.30	-	2.30
45	अवकाश यात्रा व्यय	2.00	-	2.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.60	-	1.60
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	4.50	1.85	2.65
49	चिकित्सा व्यय	4.20	2.90	1.30
51	वर्दी	0.25	0.10	0.15

http://shashnadesh.up.nic.in

52	□नरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	79.52	-	79.52
	योग:-	1604.44	621.90	982.54

(रू□ये नौ करोड़ बयासी लाख चौवन हजार मात्र)

उक्त धनराशि निम्ननिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगी ।

1 - विभिन्न अनुदानों के अन्र्तगत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष किये व्यय □र नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनु□ालन सुनिश्चितकिया जाय।

2 -व्यय प्रबन्ध एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय □र जारीआदेशों का विशेष रू□ से अनु□ालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की □ूर्ति तथा वित्तीय औख्त्यि के मानकों ्(स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनु□ालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा काषागार से धनराशि का आहरण तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने □र ही किया जाय।

4-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञा□ दिन□ांक 03 अगस्त 2017 में दिये गये निर्देशो/शर्तो का अनु□ालन किया जायेगा ।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिका आधार मिलान कार्यालय महालेखकार इलाहाबाद उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सा□ेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सतया□ित विवरण नियोजना अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2- मानक मद-14 मोटर गाडियों का क्रय के अन्र्तगत बजट प्रावधानसे सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृत वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जाने के संबंध में सुस□ष्ट प्रस्ताव यथासमय/आवश्यकतानुसार उ□लबध करायाजायेगा।

3- वित्त विभा के शसनादेश संख्या- 67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04 (एम) /2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के प्रस्तर-10 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार □ुररीक्षित वेतन के अवशेष के 50 प्रतिशित का भुगतान माह अक्टूबर 2017 से □ूर्व नही कियाजाना है। अत: मानक मद 52-□ुररीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में प्राविधनित धनराशि को अक्टूबर 2017 से □ूर्व कोषागार से आहरित नही किया जायेगा।

4- उ□र्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-3451 सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-04- मण्डल/जिला स्तर □र नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण के अन्र्तगत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा

5- यह आदेश वित्त आय व्ययक अनुभाग के कार्यालय ज्ञा□ दिनांक 03 अगस्त 2017 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहें है

□ी0एन0 त्रि□ाठी

विशेष सचिव ।

http://shasnadesh.up.nic.in

संख्या-8/2017/(/17) 3/2/35-आ0-2/2016-19 तददिनांक

प्रतिलिि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2 महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद
3 महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी) द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
4 वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा रीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद
5 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को वित्त आय व्यय अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञा संख्या संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 3 अगस्त, 2017 के संबंध में
6 अनुभाग अधिकारी लेखा नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग
7 वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
8 वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9 आहरण वितरण अधिकारी राज्य योजना आयोग शाखा।
10 नियोजन अनुभाग-1
11 गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)

अनु सचिव।

http:///shashnadesh.up.nic.in